

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
::मंत्रालय::
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-31-22/14/दो/ए(3),
प्रति,

भोपाल दिनांक 7/10/2014

समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय :— मूल निवासी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत, प्रायः यह देखा जा रहा है कि, मध्यप्रदेश में अन्य प्रदेशों के लोग गलत तरीके से मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाकर सेना में भर्ती हो रहे हैं। अतः इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें :—

1. Prompt investigation and verification of domicile by District Collectors and Divisional Commissioners in respect of cases referred to them by the Army Recruiting Organisation.
2. Monitoring of cases by the DCs themselves and not left to the lower functionaries, who may have been involved in issue of domicile certificates.
3. Filing of FIRs against the defaulting individuals for submitting false affidavits and perpetuating a fraud.

2/- उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

[Signature]
(डी०पी० गुप्ता)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

प्रतिलिपि:-

क्रमांक एफ-31-22/14/दो/ए(3),

भोपाल दिनांक 7/10/2014

- 1— समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
- 2— समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
- 3— उप महानिदेशक भर्ती, क्षेत्रिय भर्ती कार्यालय, जबलपुर, म0प्र0।
- 4— संचालक, सैनिक कल्याण संचालनालय, भोपाल, म0प्र0।
- 5— समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, म0प्र0।

[Signature]
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग